

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-2885/2024/
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ,
श्रीगंगानगर।

दिनांक :

विषय: अध्ययन अवधि में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत बाबत।

संदर्भ: निदेशालय के पत्रांक 1497 दिनांक 06.02.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि डॉ० रवि रोलन, जनरल सर्जन का एसएमएस मेंडिकल कॉलेज जयपुर में पीजी अध्ययन दिनांक 05.08.2020 से 10.09.2023 तक पूर्ण किया है। उक्त अवधि के मध्य चिकित्सक की पारिवारिक एवं मानसिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 10.03.2021 से 15.04.2021 उपस्थिति नहीं देने के कारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसे परिवर्तित कर उपार्जित अवकाश में स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये हैं।

डॉ० रवि रोलन, जनरल सर्जन द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु दिनांक 11.12.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया है एवं दिनांक 22.04.2021 को पीजी अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया।

अतः प्रशासनिक विभाग के निर्देशानुसार आरएसआर नियम 59 के अनुसार डॉ० रवि रोलन, जनरल सर्जन का दिनांक 10.03.2021 से 15.04.2021 की अवधि का असाधारण अवकाश उपार्जित अवकाश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 05/06/2024

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-2885/2024/240

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन बीकानेर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7748545

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर।

Document Certified by RAJIV PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date : 04-06-2024 03:13:47